

18/10/22

अधिवक्ता अपीलान्वय उप। अधिवक्ता अपीलान्वय ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की मांगना से शर्माना हो गया है।

अतः उक्त अपील आगे नहीं चलाना चाहते हैं। पक्षी अपीलान्वय के प्रार्थना पत्र पर मनत किया गया।

अतः पत्रावली जरिअ अधिवक्ता विद्वो खरिज की जाती है पत्रावली कैसल शुमार होकर मम्बर से कम है।

जरीअ विद्वो  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

[Signature]

राजब अपील प्राधिकारी  
बाली हेम्प-बालोर

CPD  
समाप्त  
CPD  
समाप्त